

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर जिला भोपाल

प्ररूप-2

देखिए नियम-3(4)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 01/2019

प्रकरण क्रमांक-87/बी-121/19-20

प्रमाणित किया जाता है कि मे० अग्रवाल कालोनाईजर, भोपाल जिसके व्यौरे नीचे दिये गये है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2013 के उपबंधों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अर्थात :-

- (1) श्री/श्रीमती/मैसर्स
- (2) पुत्र
- (3) पता
- (4) मोहल्ला
- (5) नगर/कस्बा
- (6) तहसील
- (7) जिला

मे० श्री अग्रवाल कालोनाईजर

श्री संजीव अग्रवाल, भागीदार

श्री एस.के.अग्रवाल

250, सागर प्लाजा, जोन-2, एम.पी.नगर

एम.पी.नगर

भोपाल,

हुजूर

भोपाल (मध्यप्रदेश)

रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्बन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

- 1- यह रजिस्ट्रीकरण भोपाल जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र तक के लिये सीमित है।
- 2- कालोनाईजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देनी होगी।
- 3- विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक कालोनी के लिए पृथक से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
- 4- यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र किसी भी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की भूमि पर लागू नहीं होगा।
- 5- रजिस्ट्रीकरण दिनांक से आगामी पाँच वर्ष तक के लिये मान्य रहेगा।

टिप्पणी: कालोनी का विकास, उसका विकास कार्य, भूखण्डों/भवनों का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा, यदि कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है।

स्थान :- भोपाल

तारीख :- 10/7/19



JKP
(तरुण कुमार पिथोड़े)
सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर
जिला भोपाल